भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

21 फाल्गुन, 1941 (शक)

आधार केंद्र

2955. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है;

(ख) क्या इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि आम लोगों को उनके आस-पास समुचित संख्या में आधार केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश की प्रत्येक पंचायत में आधार केंद्र खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त केंद्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क): जी, नहीं।

(ख) : देश भर में 41,000 से अधिक आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र नामित बैंक शाखाओं, डाक घरों, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कार्यालयों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और सरकारी परिसरों में कार्यान्वित हैं। उपर्युक्त के अलावा भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑनलॉइन एप्वाइंटमेंट और कतार प्रबंधन प्रणाली की सुविधा के साथ 35 आधार सेवा केंद्र शुरू किए हैं जो सप्ताह के सभी सातों दिन प्रचालन में रहते हैं। इसके अलावा, यूआईडीएआई ने अपनी बेसाइट के जरिए पता अद्यतन करने के लिए ऑनलॉइन सुविधा प्रदान की है।

(ग) और (घ) : जैसा कि सभी राज्य सरकारें यूआईडीएआई की रजिस्टार हैं, पंचायत कार्यालयों सहित सरकारी परिसरों में अधिक से अधिक आधार केंद्र शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

*****